रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 341] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 1983/श्रावण, 17, 1905
No. 341] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 1983/SRAVANA 17, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1983

का०आ० 562(अ):— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयातित सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1978 को विखण्डित करती है : परन्तु यह कि 1978 के आदेश को विखण्डित किए जाने की तारीख से पहले उसके अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि 1978 का आदेश इस प्रकार विखण्डित कर दिया गया है ।

यह आदेश तुरंत प्रवृत्त होगा।

[फा० सं० 12(10)/83-सीमेंट]

ब्रजेन्द्र सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 8th August, 1983

S.O. 562(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Imported Cement Control Order, 1978 : Provided that any Order made or any action taken under the 1978 Order prior to the date of its rescission shall not become invalid on the grounds that the 1978 Order has been rescinded.

This Order shall come into force with immediate effect.

[File No. 12(10)|83-Cem.]

BRIJENDRA SAHAI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983